

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-1602)/2024/127

दिनांक : 19/03/2024

आदेश

वित्त विभाग के मेमोरडम क्रमांक एफ.1(2) वित्त/नियम/2006-प्रथम दिनांक 08.08.2019, 25.10.2019 एवं 06.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित कार्मिक (परिविक्षाधीन) को स्वयं की प्रार्थना पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन स्थान	अवकाश का कारण	असाधारण अवकाश अवधि
1	शिवानी अग्रवाल, सहायक रेडियोग्राफर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थानागाजी, अलवर।	स्वयं की बिमारी के कारण	दिनांक 10.11.2021 से 17.11.2021 तक 08 दिवस
2	संगीता कुमारी, लैब टैक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारी खण्ड नवलगढ, झुन्झुनू।	स्वयं की बिमारी के कारण	दिनांक 16.03.2022 से 23.03.2022 तक कुल 08 दिवस

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-1602)/2024/127

दिनांक : 19/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/झुन्झुनू।
- प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
6102360

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :16-03-2024 04:55:34